भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2549#

गुरूवार, 24 मार्च, 2022/3 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

देश में पर्यटन अवसंरचना का विस्तार किया जाना

2549#. डा. सोनल मानसिंहः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इको और वन्य-जीव पर्यटन, एमआईसीई पर्यटन, सतत पर्यटन, क्रूज़ पर्यटन, गोल्फ पर्यटन, पोलो पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन के संबंध में तैयार की गई नवीनतम कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में पर्यटन के बुनियादी ढ़ांचे के विस्तार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): देश में इको पर्यटन की क्षमता को स्वीकार करते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए पंद्रह विषयगत परिपथों में एक के रूप में इको-परिपथ की पहचान की है।

पर्यटन मंत्रालय ने सतत पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रूपरेखा भी तैयार की है। रणनीति दस्तावेज में स्थायी पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पारिस्थितिक पर्यटन के विकास के लिए निम्नलिखित रणनीतिक स्तंभों की पहचान की गई है:

(i). सतत पर्यटन के लिए प्रमाणन योजना,
(ii). आईईसी और क्षमता निर्माण,
(iii). राज्य मूल्यांकन और रैंकिंग,
(iv). मार्केटिंग और संवर्धन,
(v). सुरक्षा मानक और विनियम,
(vi). गंतव्य और उत्पाद विकास,
(vii). सार्वजनिक निजी और सामुदायिक भागीदारी,
(viii). शासन और संस्थागत रूपरेखा,
(ix). कानूनी और वित्तीय।

मंत्रालय ने 27 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और भारतीय जिम्मेदार पर्यटन सोसायटी (आरटीएसओआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में 'स्थिरता पहल' का सक्रियता से संवर्द्धन और

सहायता के उपाय करना तथा जहां भी संभव हो सहयोगात्मक तरीके से काम करना है।

पर्यटन मंत्रालय ने 'माइस' उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रूपरेखा का मसौदा तैयार किया है। देश में माइस उद्योग के विकास और भारत को एक माइस गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा रणनीति दस्तावेज में निम्नलिखित रणनीतिक हस्तक्षेपों की पहचान की गई है:

(i) 'माइस' के लिए संस्थागत समर्थन
(ii) 'माइस' के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना
(iii) भारतीय एमआईसीई उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना
(iv) 'माइस' आयोजनों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना
(v) 'माइस' गंतव्य के रूप में भारत की मार्केटिंग करना
(vi) 'माइस' उद्योग के लिए कौशल विकास

साथ ही बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों, प्रदर्शनी ('माइस') को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, उद्योग हितधारकों और सभी राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन से हर संभव स्थान पर बैठकें और सम्मेलन आयोजित करने का अनुरोध किया है। उन्हें ऑफ-सीजन (अप्रैल से सितंबर से प्रभावी) गंतव्यों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी सूचित किया गया है।

क्रूज पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए हितधारकों और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ नियमित बातचीत की जाती है। पर्यटन मंत्रालय ने अध्यक्ष के रूप में सचिव (पर्यटन) और सह-अध्यक्ष के रूप में सचिव (शिपिंग) के साथ क्रूज पर्यटन पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

उपरोक्त के अलावा, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/केंद्र सरकार की एजेंसियों को क्रूज पर्यटन और नदियों के किनारे क्रूजिंग सहित पर्यटन के विकास के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। 'पर्यटन बुनियादी संरचना के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजना के तहत क्रूज टर्मिनलों और संबंधित बुनियादी संरचना के विकास के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने भारत में और/अथवा गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावना वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। कार्य योजना के एक भाग के रूप में गोल्फ स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा और मंत्रालय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, स्तरों पर गोल्फ से संबंधित कार्यक्रमों को प्रायोजित करेगा।

पर्यटन मंत्रालय ने पोलो का आला पर्यटन उत्पाद के रूप में संवर्धन करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

भारत को चिकित्सा मूल्य यात्रा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में संवर्धन करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और निरोगता पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रूपरेखा तैयार की है। रणनीति ने निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों की पहचान की है:

(i) भारत को एक निरोगता गंतव्य के रूप में एक ब्रांड विकसित करना,
(ii) चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना,
(iii) ऑनलाइन एमवीटी पोर्टल स्थापित करके डिजिटलीकरण सक्षम करना,
(iv) एमवीटी के लिए पहुंच में वृद्धि,
(v) निरोगता पर्यटन का संवर्धन करना,
(vi) शासन और संस्थागत तंत्र।

(ख): पर्यटन मंत्रालय अपने विषयगत परिपथ आधारित 'स्वदेश दर्शन' योजना और 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन' (प्रशाद) योजना के तहत पर्यटन बुनियादी संरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय 'पर्यटन बुनियादी संरचना के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजना के तहत पर्यटन के विकास के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने 19 चिन्हित स्थलों के विकास के लिए 'प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का विकास' योजना तैयार की है।
पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों की योजना के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और ऐसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित प्रावधानों की पूर्ति और धन की उपलब्धता के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

******

अनुबंध

देश में पर्यटन अवसंरचना का विस्तार किया जाना के संबंध में दिनांक 24.03.2022 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 2549# के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

'पर्यटन बुनियादी संरचना के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजना के तहत क्रूज टर्मिनलों और संबंधित बुनियादी संरचना के विकास के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(लाख रू. में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**परियोजना का नाम**	**कार्यान्वयन एजेंसी राशि**	**स्वीकृत राशि**	**जारी की गई राशि**
2012-13					
1.	तमिलनाडु	चेन्नई बंदरगाह पर मौजूदा यात्री टर्मिनल में क्रूज यात्री सुविधा केंद्र	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	1724.66	1724.66
2014-15					
2.	गोवा	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट में क्रूज टर्मिनल बिल्डिंग	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	879.04	767.187
2016-17					
3.	केरल	विलिंगडन द्वीप, कोच्चि, केरल पर पैदल पथ/ सैरगाह का विकास	कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट	901.00	720.30
4.	केरल	एर्नाकुलम घाट के घाट के तट और बैकअप क्षेत्र के उन्नयन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता	कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट	2141.00	1912.80
5.	महाराष्ट्र	एक पर्यटक गंतव्य के रूप में कानोजी आंग्रे लाइटहाउस के विकास के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को केंद्रीय वित्तीय सहायता	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	1500.00	1500.00
2017-18					
6.	महाराष्ट्र	इंदिरा डॉक, मुंबई में अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन/	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	1250.00	1250.00

		आधुनिकीकरण।			
2018-19					
7.	गोवा	मोरमोगाओ में अप्रवासन सुविधा में सुधार और मौजूदा क्रूज घाट को गहरा करना	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	1316.40	658.20
8.	केरल	कोचीन पोर्ट क्रूज टर्मिनल पर बुनियादी संरचना का विकास	कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट	120. 79	60.39
9.	केरल	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट वॉकवे पर अतिरिक्त पर्यटन सुविधाओं का निर्माण	कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट	466.47	373.17
10.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाहरी बंदरगाह में चैनल बर्थ क्षेत्र में क्रूज-सह-तटीय कार्गो टर्मिनल का निर्माण	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट	3850.00	1925.00
2019-20					
11.	केरल	नए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट टर्मिनल में अतिरिक्त बुनियादी संरचना के विकास के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता	कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट	1029.70	514.85
2021-22					
12.	गोवा	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट (एमपीटी) द्वारा मोरमुगाओ बंदरगाह, गोवा में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रूज जहाजों के लिए सुविधाओं का निर्माण घटक:- 1. सिविल कार्य-टर्मिनल भवन 2. आंतरिक भवन (सिविल कार्य, एलिवेशन फिनिशर, निराकरण)-वाणिज्यिक	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	5000.00	2500.00

		भवन/सहायक भवन			
13.	महाराष्ट्र	इंदिरा डॉक, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन/आधुनिकीकरण घटक:- हाई एंड लक्ज़री शौचालय, लिफ्ट और एस्केलेटर, 22 केवी इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप, यात्री गाड़ियां, कंक्रीट रोड, लैंडस्केपिंग इत्यादि, पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए कियोस्क, पर्यटक गाइड और टैक्सी ड्राइवरों के लिए अलग शौचालय, विश्राम कक्ष आदि जैसी सुविधाएं।	मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट	3750.00	1875.00

******